राजस्व वाद संख्या : 116 / 2020
जीसीएमएस वाद संख्या : 2020 / 00265
रामजीलाल बनाम नन्दलाल आदि
दिनांक:– 29.07.2024.

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 116 / 2020 जीसीएमएस नम्बर :– 2020 / 00255

रामजीलाल पुत्र श्री जुहाराराम उम्र 78 जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.... वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र श्री जुहाराराम जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
2. दयानन्द पुत्र सौंवल राम जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
3. संजीव पुत्र शिवचन्द जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
4. सुरेश कुमार पुत्र शिवचन्द जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
5. शान्ति देवी पत्नि शिवचन्द जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
6. कोशिल्या देवी पुत्री शिवचन्द पत्नि राजकुमार जाति–जाट निवासी–महिपालवास त. सूरजगढ़, जि. झुंझुनूं
7. अन्तर सिंह पुत्र रोहताश जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
8. विनोद कुमार पुत्र रोहताश जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनू
9. सन्तरा देवी पत्नि रोहताश जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
10. अनीता देवी पुत्री रोहताश पत्नि प्रताप सिंह जाति –जाट नि.–बड की ढाणी तन गुडा त. –उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
11. कमलेश पुत्री रोहताश पत्नि भरतसिंह जाति–जाट निवासी–बड की ढाणी तन–गुढा त. –उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
12. मनीराम पुत्र बदलूराम जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
13. कर्ण सिंह पुत्र श्री बदलूराम जाति –जाट, निवासी गोठ त. बुहाना जि. झुंझुनूं
14. मुन्नी पुत्री बदलूराम पत्नि महावीर जाति–जाट नि.–पदमपुरा त.–चिड़ावा
15. ओमली देवीपुत्री बदलूराम पत्नि महीपाल जाति–जाट नि.–मांकड़ो त.–बुहाना जिला–झुंझुनूं
16. मायाकोर पुत्री बदूलराम पत्नि सरदेव जाति–जाट नि.–किशोपुरा त.–चिड़ावा जिला–झुंझुनूं
17. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार–बुहाना जिला झुंझुनूं।

..............प्रतिवादीगण

दिनांक 29/07/24

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:53 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का ... कि वाके ग्राम गोठ में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 ... 2078 ... खाता सं. 95 के खसरा नम्बर 268 रकबा 0.03 है. खसरा नम्बर 269 रकबा 5.91 है. ख... नम्बर 270 रकबा 2... खसरा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

नम्बर 271 रकबा 3.61 है. खसरा न. 77 रकबा 1.95 है. खसरा नम्बर 78 रकबा 1.85 है. कुल किता 6 कुल रकबा 15.67 है. में वादी के 1/4 कदीमी कब्जेशुदा भूमि में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना करे तथा ना ही अपने किसी मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों से करावे! विवादितवाद वर्णित कृषि भूमि का रहन, बेचान, दान, वसीयत, गिरवी आदी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने की कृपा करे।

(ख) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि विवादितवाद वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान के कदीमी बाहमी बंटवारा,, हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा लगान व अलहेदा खाता कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 15.07.2022 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.11.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 454 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 898 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

प्रतिवादी सं0 1 की और से श्री पूनम एड. द्वारा वकालतनामा पेश कर निवेदन किया की दिनांक 15.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई है। प्रतिवादी सं0 1 ने ऐतराज पेश किया जिसमें वादी को सड़क से संलग्न हिस्सा नही देकर सम्पूर्ण पर सड़क से सलग्न हिस्से पर कब्जा बताया है। वकील वादी ने मौखिक बहस पेश कि जिसमें निवेदन किया कि कुर्रे पर सभी पक्षकारों को सड़क पर नम्बर दिये गये है तथा वादीगण के मकान भी बने हुए है अतः अच्छे में से अच्छी व बुरे में से बुरी के आधार पर मुताबिज कुर्रे रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करने की कुपा करे।

बाद बहस वकील प्रतिवादी के ऐतराज इस आधार पर खारिज किये जाते है। कि वादी को सम्पूर्ण भूमि पीछे देने से **Mites and bounds** का उल्लघन होगा। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 के तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी [illegible] कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गोठ में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 95 के खसरा न.268 रकबा 0.03 है. खसरा न. 269 रकबा 5.91 है. खसरा न.270 रकबा 2.32 है खसरान. 271 रकबा 3.61 है. खसरा न. 77 रकबा 1.95 है. खसरान. 78 रकबा 1.85 है. कुल किता 6 कुल रकबा 15.67 है. भूमि में वादी का दर्ज हिस्से व तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 454 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 898 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 29/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी–	हेमन्त कुमार आर.ए.एस.

जस्व वाद सं:– 116/2020
र्णय दिनांक:–	**जीसीएमएस वाद संख्या : 2020/00265**

रामजीलाल **बनाम** नन्दलाल आदि

दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री अशोक कुमार यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं0 1 की और से श्री ...न एड. की उपस्थिति में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री हेमन्त कुमार** ...**खण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और ...म डिक्री दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गोठ में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 95 के खसरा न.268 रकबा 0.03 है. खसरा न. 269 रकबा 5.91 है. खसरा न.270 रकबा 2.32 है खसरान. 271 रकबा 3.61 है. खसरा न. 77 रकबा 1.95 है. खसरान. 78 रकबा 1.85 है. कुल किता 6 कुल रकबा 15.67 है. भूमि में वादी का दर्ज हिस्से व तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 454 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 898 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

...र्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
...आज तारीख 29/07/24 को मेरे हस्ताक्षर ... न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:53 IST
Reason: SelfAttested